27.01.2025 पत्रावली पेश। प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 07 ता 10 की रजिस्ट्री तामील पूर्व में पेश, परन्तु नोटिस तामील के उपरान्त भी आईन्दा तक अनुपस्थित रहने से अप्रार्थी 07 से 10 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अप्रार्थी संख्या 01 से 06 को पर्याप्त अवसर देने के उपरान्त भी जवाब पेश नहीं। अतः अप्रार्थी 01 से 06 का जवाब बन्द किया जाता है। बहस अधिवक्तागण की सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने दावा में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी की मौजा गुड़ाला में पुश्तैनी कृषि पुराने [illegible] 30 बीघा, 17 बीस्वा, खसरा नं. 16 रकबा [illegible] 9 बीस्वा, खसरा नम्बर 17 रकबा.

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.02.24 16:08:28 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अज इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए।

36 बीघा 11 बिस्वा, खसरा 18 रकबा 03 बीस्वा व खसरा 30 रकबा 234 बीघा 18 बीस्वा आई हुई थी जिसमें प्रार्थी का 1/4 हिस्सा कानूनी बनता है उक्त भूमि के नवीन सेटलमेन्ट में खसरा 88 रकबा 4.81 है., खसरा 195 रकबा 6.18 है., खसरा 196 रकबा 0.01 है., खसरा 197 रकबा 3.70 है., खसरा 198 रकबा 0.09 है., खसरा 199 रकबा 2.44 है., खसरा 88/803 रकबा 4.12 है., बने है पुराने खसरा के द्वितीय सेटलमेन्ट में प्रार्थी व अप्रार्थीगण ने आपसी सहमति से कब्जे काश्त अनुसार 1/4 हिस्से अनुसार भू प्रबन्ध अनुसार अधिकारी के समक्ष बंटवारा करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमें अप्रार्थी 01 व 02 ने सेटलमेन्ट अधिकारियों से मिलावट कर अपने नाम से अप्रार्थी बलवन्तसिंह के नाम में 6.23 है., व अप्रार्थी उगमसिंह के नाम में 6.18 है. भूमि हिस्से से अधिक दर्ज करवा दी जिसका उन्हे कोई हक नहीं है जबकि प्लॉट में हिस्से में 5.33 है. भूमि कानूनी बनती है प्रार्थी के हिस्से मे 1.21 है. भूमि कम नाम मे आई थी कि प्रार्थी अपने हिस्से 1/4 रकबा 5.33 है. भूमि का कानूनी अधिकारी है अप्रार्थीगण के हक में हिस्से से अधिक भूमि आने से भूमि का बेचान करने व प्रार्थी को अपने हक से वंचित करने पर उतारू है न्यायालय में वाद विचाराधीन होने के बावजूद भी अप्रार्थी 05 व 06 ने भूमि का बेचान कर दिया है तथा आगे भी बेचान करने पर उतारू है यदि अप्रार्थीगण ऐसा करने में सफल हो गए तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी, जिसका आंकलन रुपयों-पैसों में किया जाना कतई सम्भव नहीं होगा। अतः अप्रार्थीगण को मूल दावा के निस्तारण तक पाबन्द रखे अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमावे। अप्रार्थीगण अधिवक्ता ने अपनी बहस में फरमाया कथन किया कि प्रार्थी उक्त आराजी का कोई खातेदार नहीं है अप्रार्थीगण को [illegible] परेशान करने हेतु वाद दायर [illegible] प्रार्थना पत्र तथ्यहीन [illegible] साबित खारिज होने से अस्वीकार [illegible] किया जाकर खारिज फरमावे।

(हस्ताक्षर)

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.02.24 16:08:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

मुकदमा नम्बर ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अज इनिशियल्स जज	नम्बर अहलकार हुक्म में
	मैंने उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। पत्रावली उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से वादग्रस्त आराजी प्रार्थी के पुश्तैनी हको की प्रतीत हो रही है अतः मामला प्रथम दृष्टया तथा सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत हो रहा है अप्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी का बेचान व हस्तानांतरण किया जाता है तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होने की प्रबल सम्भावना है तथा अप्रार्थीगण द्वारा पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेज या साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया है कि जिससे यह साबित हो कि वादग्रस्त आराजी प्रार्थी की पैतृक आराजी की खातेदारी न हो। इस प्रकार उपरोक्त विश्लेषण से प्रार्थना पत्र प्रार्थी का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा मौजा कुडावा के खसरा नंबर 88, 195, 196, 197, 199, 88/803 पर मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। इस आदेश की अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जावे [illegible] पत्रावली [illegible] नियमानुसार होकर मामले से कमेटी [illegible] शामिल दफ्तर हो। Signature Not Verified Digitally signed by Pramod Kumar Date: 2025.02.24 16:08:28 IST Reason: SelfAttested सहायक कलेक्टर, सांचौर (उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)	

Scanned with OKEN Scanner